E Learning Study Material
BY Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR
BA PART TWO ECONOMICS HONS
PAPER THIRD

Major Provisions of Industrial Policy of 1991 of India

1991 की नई औद्योगिक नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं

1 औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन -

पूर्व की औद्योगिक नीति में उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से विनिमय के अधीन प्रतिबंधित रखा गया था। हालांकि 1980 के दौरान कुछ उदारीकरण के उपाय शुरू किये गये थे जिन्होंने उद्योग के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। फिर भी औद्योगिक विकास काफी हद तक प्रभावित रहा।

नई औद्योगिक नीति अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर देती है। इस नीति के अन्तर्गत देश की सुरक्षा और सामरिक चिन्ताओं, खतरनाक उद्योगों और पर्यावरण सम्बन्धी गिरावट या नुकसान या किसी तरह का प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से सम्बन्धित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर

नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

प्रारम्भ में 18 उद्योगों को इस उद्योग की श्रेणी में रखा गया था जिन्हें लाइसेंस की अनिवार्यता होती है। बाद में संशोधन के द्वारा इस सूची को छोटा कर दिया गया। यह अब स्वास्थ्य सुरक्षा और रणनीतिक सोच के साथ केवल पाँच उद्योगों को सम्मिलित करता है जिनके लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य माना गया। इस प्रकार उद्योग को पूरी तरह से लाइसेंसिंग प्रावधानों और इसके साथ जुड़ी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है

जिन उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक होगा उनमें कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, सिगरेट, मोटर कार, खतरनाक रसायन, ड्रग्स और दवा उद्योग और कुछ लक्जरी वस्तुएँ आती है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों का डी-आरक्षण:

सार्वजनिक क्षेत्र जिसकी कल्पना तेजी से औद्योगिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में की गयी थी मोटे तौर पर इसे सौंपे गये कार्य को करने में विफल रहा। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाने के कारण घाटे वाले उद्योग हो गये जिससे सरकार के ऊपर वित्तीय भार में वृद्धि हुई। ओ एन जी सी जैसी कुछ इकाइयाँ लाभप्रद थी जिनको छोड़कर बाकी में सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी।